राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1161/2024

सुरेश गोदारा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर।
2. राजस्व मंडल, अजमेर, राजस्थान जरिये रजिस्ट्रार (भू–अभिलेख)।
3. जिला कलेक्टर (भू–अभिलेख), हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. तहसीलदार भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.03.2024
आदेश की दिनांक : 02.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज ओजला, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधन अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पटवार मंडल, नैठराणा, भादरा, जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से

तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ किया गया है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 29.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 29.02.2024 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पल्लू तहसील में की गई। उनका कथन है कि निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगने के बाद किया गया है। अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में कोई सहमति नहीं ली गई। संभागीय आयुक्त द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन संभाग के अंदर ही किया जा सकता है। इसी तरह जिला कलेक्टर द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन जिले के अंदर ही किया जा सकता है तथा राजस्व मंडल द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन राज्य के अंदर कहीं भी किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश उक्त नियम के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2962/2024 कोदर चौहान बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2024 एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1367/2023 राजेन्द्र मांडा बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें ऐसे स्थानान्तरणों को अनुचित माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 29.02.2024 एवं 10.03.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पटवार मंडल, नैठराणा, भादरा, जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को तहसील पल्लू स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी का स्थानान्तरण हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक तहसील से दूसरे तहसील में किया गया है और जिला कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 29.02.2024 को जारी किया गया परंतु अपीलार्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने पर राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 10.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पुनः हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही उसी पल्लू तहसील में किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले के अंदर ही किया गया

है, जिसमें किसी प्रकार की नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। अपीलार्थी वर्ष 2022 से एक ही स्थान पर पदस्थापित है और लगभग 2 वर्ष बाद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार प्रशासनिक आधार पर जनहित में सक्षम स्तर से जारी किया गया है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य